न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सर्वेश शर्मा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 30/2020पुराना, .../2023 दायर तारीख :– 03.09.2020

1. भवर लाल पुत्र धीरा जीत जाट निवासी ज्ञानसी का बास भादवा कि.रेनवाल जिला जयुपर राज.

प्रार्थी

बनाम

1. सुरेश पुत्र गणेश जाति जाट निवासी ज्ञानसी का बास भादवा कि.रेनवाल जिला जयुपर राज.
2. मोनिका पुत्री गणेश ज्ञानसी का बास भादवा कि.रेनवाल जिला जयुपर राज.
3. सरोज पुत्री गणेश
4. कमलेश पुत्र गणेश
5. संतोष पत्नि गणेश जाति जाट ज्ञानसी का बास भादवा कि.रेनवाल जिला जयुपर राज.
6. धन्नी पत्नि स्व.धन्ना जाति जाट ज्ञानसी का बास भादवा कि.रेनवाल जिला जयुपर राज.
7. कमला पुत्री स्व.घीसाराम पत्नि कानाराम सेवदा जाति जाट निवासी लोहराणा तह. नावां जिला नागौर राज.
8. मदनी पुत्री स्व.घीससराम पत्नि सुखाराम जाति जाट निवासी लोहराणा तह.नावां जिला नागौर राज.
9. प्रेम पुत्री स्व.घीसराम पत्नि भीवाराम जाति जाट निवासी लोहराणा तह.नावां जिला नागौर राज.
10. छोटी देवी पत्नि स्व.घीसाराम जाति जाट ज्ञानसी का बास भादवा कि.रेनवाल जिला जयुपर राज.
11. सुवालाल पुत्र स्व.घीसाराम जाति जाट ज्ञानसी का बास भादवा कि.रेनवाल जिला जयुपर राज.
12. प्रबन्धक पी.एन.बी.बैक भादवा।
13. आई.सी.आई.सी.बैक जोबनेर जरिये प्रबन्धक
14. तहसीलदार तहसील कि.रेनवाल जिला जयपुर राज.

अप्रार्थीगण

उपस्थित :– श्री हनुमान जाखड विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

निर्णय दिनांक 31.10.2025

1. प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष वाद बाबत घोषणा खातेदार व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसके साथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का भी पेश किया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं.1 ल. 11 की सयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खाता स. 365 की आराजी खसरा न. 638 रकबा 0.3161 है0 खसरा न. 639 रकबा 0.379 है0 किता कुल रकबा 0.3540 है0 तथा खाता सं. 77 की आराजी खसरा न. 01 रकबा 2.0611 है0 खसरा न. 02 रकबा 0.6955 है0 खसरा न. 03 रकबा 4.2361 है0 खसरा न. 640 रकबा 0.0632 है0 खसरा न. 641 रकबा 2.2382 है0 खसरा न. 643 रकाब 2.5164 है0 किता 6 कुल रकबा 11.8105 है0 व खाता सं. 126 की आराजी खसरा न. 564 रकबा 4.05.90 है0 तथा खाता सं. 89 की आराजी नं. 565 रकबा 7.0938 है0 तथा खाता सं. 86 के खसरा न. 642

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

रकबा 0.0253 है0 वाके ग्राम भादवा भू.अभि.नि.क्षेत्र गैरालाना तहसील कि.रेनवाल जिला जयपुर राज.में स्थित है। तुलछा अविवाहित नाऔलाद 1962 में फौत हो गया था जिसके नामातकरण सं. 462 दिनांक 27.11.1962 को उसके भाइ पूसा के बेटे धन्ना के नाम स्वीकार हो गया था । तब से धन्ना तुलछा के हिस्से की आराजीयात पर कब्जा काश्त था अब धन्ना की मृत्यु हो गयी है। क्योकिं धन्ना तुलछा के गोद चला गया था तथा तुलछा की मृत्यु के पश्चात उसके गोद पुत्र धन्ना के ही पगड़ी का दस्तुर किया गया था । यह कि पूसा वर्ष 1973 में फौत हुआ था जिसका फौती नामा0 सं. 297 दिनांक 02.07.1973 को तस्दीक किया गया यह नामा0 सहवन से पूसा के दोनो बेटे घीसा व धन्ना के नाम स्वीकार हो गया जबकि धन्ना को पहले से ही तुलछा की जमीन मिल चुकी थी क्योकि धन्ना तुलछा के गोद चला गया था। परन्तु उसका कब्जा तुलछा के हिस्से की आराजीयात पर ही था। पूसा जो कि धन्ना का प्राकृतिक पिता था उसकी जमीन से धन्ना का कोई संम्बन्ध व सरोकार नही था और ना ही पूसा की जमीन पर कब्जा काश्त था बल्कि पूसा की आराजीयात पर उसके बेटे घीसा का ही कब्जा काश्त था। धन्ना भी दिनांक 14.07.2020 को नाऔलाद फौत हो गया है जिसका अभी तक फौती नामां0 नहीं खुला हैं धन्ना ने वर्ष 2003 में घीसा के पुत्र गणेश को गोद ले लिया था जिसका दस्तावेज गोद पत्र दिनांक 24.05.2003 को स्टाम्प पर धन्ना के द्वारा लिख दिया गया था जिस पर गोद लेने वाले धन्ना के हस्ताक्षर तथा उसकी पत्नि धन्नी की अगूंठा निशानी है। इसके अलावा गांव व परिवार व समाज मौजिज पंच पटेलो के हस्ताक्षर निशानी हैं। घीसा दिनांक 28.12.2017 को फौत हो गया था उसके बेटे वादी भंवरलाल प प्रतिवादीगण सुवालाल तथा पत्नि छोटी देवी व पुत्रीयां कमला, मदनी, प्रेम, के नाम नामा0 दर्ज हो गया है गणेश के नाम नामां0 दर्ज नही हुआ हैं क्योकि गणेश स्व.धन्ना के गोद चला गया था परन्तु खाता सं0 77 की आराजी खसरा नंबर 1, 2, ,3 ,640, 641, 643 में सहवन से गणेश का नाम अपने प्राकृतिक पिता घीसा की विरासत में गलत नांमा0 दर्ज हो गया । परन्तु उपरोक्त आराजीयात में घीसा की तीनों पुत्रीया कमला, मदनी, प्रेम व पत्नि छोटी तथा गणेश ने तहसीलदार कि.रेनवाल के यहां उपस्थित होकर अपने हिस्से का हक त्याग वादी भंवरलाल प प्रतिवादी सुवालाल के पक्ष में कर दिया खसरा नंबर 638, 639, 565 में घीसा की विरासत मे गणेश का नाम अकिंत नही हुआ था क्योंकि गणेश धन्ना के गोद चला गया था। खाता संख्या 77 की आराजीया खसरा नम्बर 1,2,3 640,641,643 गणेश पुत्र घीसा हिस्सा 1/70 तथा धन्ना पुत्र पूसा हिस्सा 1/10 गलत दर्ज हो गया क्यो कि धन्ना तुलछा के गोद चला गया था तथा गणेश धन्ना के गोद चला गया था उक्त आराजीयात में इनका यह हिस्सा सहवन से गलत दर्ज गया। क्यों कि धन्ना तुलछा के गोद चला गया था तथा गणेश धन्ना के गोद चला गया था। उक्त आराजीयात में इनका यह हिस्सा सहवन से गलत दर्ज हो गया है। जो हफज करने योग्य है। इसी प्रकार खाता संख्या 89 के खसरा नम्बर 565 में धन्ना पुत्र पूसा हिस्सा 1/2 सहवन से गलत दर्ज हो गया क्यों कि धन्ना तो तुलछा के गोद चला गया था तथा तुलछा का फौती नामान्तकरण भी धन्ना के नाम खुल गया था तथा धन्ना तुलछा के हिस्से की आराजीयात पर ही काबिज काश्त था इसलिए धन्ना पुत्र पूसा का 1/2 हिस्सा गलत दर्ज हो गया जो हजफ किये जाने योग्य है। इसके स्थान पर वादी भवरलाल व सुवालाल पुत्र घीसा का नाम दर्ज होना चाहिए था एंव इसी प्रकार खाता संख्या 86 के खसरा नम्बर 642 में धन्ना पुत्र पूसा हिस्सा 1/8 सहवन से गलत दर्ज हो गया है। जबकि धन्ना तुलछा के गोद चला गया था जिसका इस खसरा नम्बर में 1/4 हिस्सा धन्ना पुत्र तुलछा के नाम से दर्ज है। इस प्रकार धन्ना पुत्र पूसा का हिस्सा वादी भवरलाल व प्रतिवादी सुवालाल के नाम दर्ज होगा । धन्ना पुत्र पूसा के नाम का 1/8 हिस्सा हजफ किये जाने योग्य है। इसी प्रकार खाता संख्या 365 की आराजीयात 638 व 639 में धन्ना पुत्र पूसा हिस्सा 1/4 सहवन से गलत दर्ज हो गया जो हिस्सा वादी भवरलाल पुत्र घीसा प्रतिवादी सुवालाल पुत्र घीसा के नाम दर्ज होना चाहिए था। उकत खाते से हजफ किया जाकर यह हिस्सा वादी भवरलाल व प्रतिवादी सुवालाल के दर्ज होने योग्य हैं खाता संख्या 77 की आराजी खसरा नम्बर 1,2,3,640,641,643 में प्रतिवादीगण–कमला पुत्री घीसा हिस्सा 1/70, प्रेम पुत्री घीसा हिस्सा 1/70, मदनी पुत्री घीसा हिस्सा 1/70, प्रतिवादी छोटी देवी पत्नी घीसा हिस्सा 1/70 हिस्सा तथा गणेश पुत्र घीसा हिस्सा 1/70 व धन्ना पुत्र पूसा हिस्सा 1/10 हजफ होया क्यों प्रतिवादीगण कमला, प्रेम , मदनी तथा छोटी ने हक त्याग वादी भवरलाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

व प्रतिवादी सुवालाल के पक्ष में कर दिया है तथा गणेश पुत्र घीसा जो कि धन्ना के गोद चला है इसलिए इन सभी का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी भंवरलाल व प्रतिवादी सुवालाल के सयुंक्त रूप से 1/5 हिस्सा दर्ज होगा। शेष हिस्सा अन्य सह खातेदार का बदस्तूत रहेगा। इसी प्रकार खातदा संख्या 365 की आराजी 638,639 मे धन्ना पत्रु पूसा का 1/4 हिस्सा सहवन से दर्ज हो गया जो हजफ होगा। यह हिस्सा वादी भवरलाल व प्रतिवादी सुवालाल के नाम दर्ज होगा इस प्रकार उक्त आराजीयात में वादी भवरलाल व प्रतिवादी सुवालाल का संयुक्त 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज की जानी है। शेष हिस्सा बदूस्तर सह खातेदार के रहेगा। इसी प्रकार खाता संख्या 89 के खसरा नम्बर 565 में धन्ना पुत्र पूसा का जो 1/2 हिस्सा गलत दर्ज है वह हजफ किया जाकर सम्पूर्ण हिस्सा वादी भवरलाल व प्रतिवादी सुवालाल के नाम सयुंक्त रूप से दर्ज होगा। अर्थात 1/2 हिस्सा वादी भवरलाल व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सुवालाल के नाम दर्ज होगा। खाता संख्या 86की आराजी में धन्ना पुत्र पूसा के नाम जो 1/8 हिस्सा गलत दर्ज है वह हजफ होगा यह हिस्सा वादी भवरलाल व प्रतिवादी सुवालाल के नाम सयुंक्त रूप से 1/4 हिस्सा दर्ज होगा। शेष हिस्सा बदस्तूर रहेगा। वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 लगयात 6 जो कि गणेश के वारिसान है जिनको तुलछा के हिस्से की आराजीयात मिली हुई उनको जब वादी ने कहा कि तुम तुलछा के हिस्से की आराजीयात में ही हक व हिस्सा लेने के अधिकारी हो तो प्रतिवादी संख्या 1 ल0 6 पूर्व में वादी को आश्वस्त करते रहे कि हम तुलछा के हिस्से की आराजीयात है उसमें ही अपना नाम विरासत में दर्ज करवायेगें तथा पूसा व घीसा के हिस्से की आराजीयात में यदि हमारा नाम सहवन से दर्ज हो रखा है तो उसकों सहमति देकर हटवा देगें व नामान्तकरण हमारे नाम दर्ज नही करवायेगें। हमारे पिता गणेश धन्ना के गोद चले गये थे हमारे दादा धन्ना तुलछा के गोद चले गये थे इसलिए हमारा पूसा व घीसा की आराजीयात से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। हम तो तुलछा के हिस्से की आराजीयात के ही हकदार है इसी विश्वास में वादी रहा । किन्तु अब प्रतिवादी संख्या 01 ल0 06 की नियत में फितूर आ गया है और वे चुपचाप पूसा व घीसा की आराजीयात का नामानतकरण जो सहवन से धन्ना व गणेश के नाम दर्ज है। उसको अपने नाम करवाना चाहते है। जब वादी को इस सम्बन्ध में जानकारी हुई तो वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 ल0 06 को दिनांक 24.08.2000 को औलमा दिया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1ल0 06 उग्र होते हुये वादी को धमकी दी कि वे पूसा व घीसा तथा तुलछा धन्ना सभी की सम्पत्ति में अपना नाम दर्ज करवायेगे। और वादी को कोई हक व अधिकार नहीं देगें इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञ विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की ओर से वकील जगवीर सिंह सेवदा उपस्थित हुये तथा काउन्टर टी0आई 0 प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पूसा व तुलछा सगे भाई नहीं थे, धन्ना व घीसा दोनो सगे भाई थे, धन्ना तुलछा के कभी गोद नहीं गया एंव गणेश भी धन्ना के गोद नहीं गया अपितु धन्ना व उसकी पत्नी धन्नी ने गणेश के पुत्र सुरेश उर्फ सुरेन्द्र का विधिवत गोद लेकर गोदनामा पंजीबद्ध कराया था। सिजरा गलत है। धन्ना तुलछा के कभी गोद नहीं गया न ऐसा कोई गोदनामा तहरीर कराकर तकमिल कराया गया। पूसा के स्वर्गवास बाद उसकी छोडी हुयी आराजी का विरासत के आधार पर नामा0 297 दिनांक 2.7.73को पूसा के दोनो बेटों के नाम विधि अनुसार सही खोला गया है। धन्ना कभी तुलछा के गोद नहीं गया था न ऐसे कोई गोद के दस्तोवज है, गोद का तथ्य गलत अंकित किया है। धन्ना ने सुरेश उर्फ सुरेन्द्र को विधिवत गोद ले लिया था और दिनांक 22.12.2010 को विधिवत गोदनामा तहरीर कराकर उपपंजीयन सांभर के यहा पंजीयन करा दिया था। धन्ना ने घीसा के पुत्र गणेश को कभी गोद नही लिया न कोई लिखावट ही तहरीर की वादी ने गणेश पुत्र घीसा को गोद लेने का तथ्य गलत अंकित किया है। घीसा का दिनांक 28.12.2017 को स्वर्गवास होना स्वीकार है। गणेश कभी भी घीसा के गोद नहीं गया घीसा की छोडी हुयी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात में उसके समस्त वारिसान का नामान्तरण दर्ज हुआ है जो सही है। गणेश कभी भी धन्ना के गोद नहीं गया, गोद का तथ्य गलत अंकित किया है। खाता नमबर 77 की आराजीयात में गणेश पुत्र घीसा का 1/70 हिस्सा विरासत के आधार पर सही दर्ज

पीठासीन अधिकारी

हुआ है। धन्ना कभी तुलछा के गोद नहीं गया न ऐसा कोई गोदनाम है। धन्ना ने अपनी पत्नी की सहमति से प्रतिवादी नम्बर 1 सुरेश उर्फ सुरेन्द्र को गोद लेकर विधिवत गोदनाम तहरीर कराकर निष्पादित /पंजीयन कराया है। धीसा की छोड़ी हुई कब्ज काश्त व खातेदारी की आराजीयात में उसके समस्त वारासियान का राही अंकन है। गणेश कभी भी धन्ना के गोद नहीं गया, गोद का तथ्य गलत अंकित किया है।प्रतिवादी नम्बर 1 सुरेश उर्फ सुरेन्द्र को धन्ना को अपनी पत्नी धन्नी की सहमति से विधिवत गोद लेकर गोदनामा विधि अनुसार निष्पादित कराकर दस्तावेज संख्या 3091 दिनांक 22.12.2010 को पंजीयन कराया है इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 धन्ना का गोद का पुत्र है धन्ना व धीसा दोनो सगे भाई थे और पूसा की जांयदा संताने थी। पूसा वर्ष 1973 में फोत हुआ जिसका फोती नामा0 संख्या 297 दिनांक 02.7.73 को पूसा के दोनो धीसा व धन्ना के नाम तस्दीक किया गया जो विरासत के आधार पर सही तस्दीक किया गया था जिसके अनुसार खाता नम्बर 365 की आराजीयात ख.न. 638,639 में धन्ना पुत्र पूसा का 1/4 हिस्सा एंव खसरा नम्बर 1,2,3,640,641,643 में धन्ना पुत्र पूसा के नाम 1/8 हिस्से की खातेदारी का अंकन है। प्रतिवादी नम्बर 1 धन्ना का दत्तक पुत्र है एंव प्रतिवादीया नम्बर 6 धन्ना की धर्म पत्नी है और धन्ना पुत्र पूसा के नाम अंकन खातेदारी की आराजीयात में हिन्दू उत्तराधिकार एंव काश्तकारी प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1 व 6 दोनो उक्त धन्ना पुत्र पूसा के दर्ज हिस्से में समान भाग के अधिकारी है। किन्तु वादी जबरन उक्त धन्ना पुत्र पूसा के दर्ज हिस्से मे कब्जा करना चहता है एंव दोनो प्रतिवादीगण नम्बर 1,6 के अधिकारों से दिनांक 27.02.2021 को इन्कार किया एंव उक्त वाद की आड में जबरन कब्जा करने की धमकी दी ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नम्बर 1 व 6 जो धन्ना के वारिस है को अपने हकूको की रक्षार्थ काउन्टर क्लेम पेश करना आवश्यक हुआ ऐसी घोषणा न होने से प्रतिवादी नम्बर 1,6 की सख्त हकतलफी होगी अतः दौरोन सुनवाई वादी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद कराया जाना आवश्यक है। वादी/ प्रार्थी के द्वारा जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो इस प्रकार है। धन्ना तुलदा के गोद गया था तथा गणेश धन्ना के गोद गया था सिजरा में गोद का विवरण सही दिया गया है। नामान्तकरण संख्या 297 गलत दर्ज किया गया था। धन्ना तुलछा के गोद चला गया था क्यों कि धन्ना तुलछा के गोद चला गया था। तुलदा का फौती नामान्तकरण धन्ना के नाम दर्ज हुआ था जिसके नामान्तकरण संख्या 462 दिनांक 27.11.1962 है। प्रार्थना पत्र काउन्टर जवाब का मद नंबर 7 गलत है। गणेश का नाम धीसा की विरासत में गलत दर्ज हुआ है क्यों गणेश धन्ना के नाम गोद चला गया था गणेश का धीसा की विरासत में गलत नाम दर्ज हुआ है। धन्ना तुलछा के गोद गया था तुलछा का फौती का नामान्तकरण धन्ना के नाम दर्ज हुआ है। धन्ना तुलछा के गोद गया था तुलछा का फौती नामान्तकरण धन्ना के नाम दर्ज हुआ है तथा धनना की आराजे गणेश को मिली है। सुरेश गणेश का पुत्र है धन्ना का पुत्र नहीं है धन्ना का पुस्ता की आराजीयात से कोई संबंध सरोकार नहीं है उक्त अराजे पर वादी का कब्जा काश्त है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी 12,13 बावजूद सूचना हाजिर नहीं हुये अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी 14 पैरोकार सरकार है।

3. उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।
4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 व सी0पी0सी0 1908 के आदेश 39 नियम 1 व नियम 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथम दृष्टया मामला , सुविधा का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना आवश्यक है। उक्त सदर्भ में प्रकरण विश्लेषणानुसार अपेक्षित है।

- प्रथम दृष्टया मामला :– प्रकरण में सर्वप्रथम प्रथम दृष्टया मामला को समझना आवश्यक है।प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया किया गया है कि पूसा के फौत होने पर नामान्तकरण सहवन से पूसा के दोनो पुत्रों धीसा व धन्ना के नाम स्वीकार किया गया जबकि धन्ना पूर्व में ही तुलछा के गोद चला गया था। इसी प्रकार धन्ना द्वारा धीसा के पुत्र गणेश के नाम नामान्तकरण गलत खोला गया अतः वादग्रस्त आराजी में गलत दर्ज हिस्से को हजफ किया जाकर वादी तथा प्रतिवादी 2,1 के नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किया जाए।

उपखण्ड अधिकारी

अप्राथी संख्या 1ल0 11 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी द्वारा काउन्टर टी0आई पेश कर निवेदन किया गया है कि दौराने वाद वादी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाए वह अप्रार्थी 1,6 के कब्जे काश्त व हिस्से में मजाहमत न करे। प्रकरण पैतृक आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्सों के निर्धारण से संबंधित है। प्रकरण में वाद विचारण के पश्चात ही प्रार्थी–अप्रार्थीगण के हक हिस्से के बारे में निर्णयन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला उत्पन्न होना प्रतीत होता है जिसका निर्धारण दावा के गुणावगुण पर साक्ष्य सबूत लेकर ही किया जा सकता है।

- सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति :– प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पांबद करने एंव अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को दौराने वाद अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करने से पांबद करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करने का निवेदन किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण वादग्रसत आराजी के सहखातेदार है प्रकरण में वाद विचारण के पश्चात ही प्रार्थी–अप्रार्थीगण के हक–हिस्से के बारे में निर्णय किया जा सकता है। दौराने वाद वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन होने पर उभयपक्षकारान को असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होना संभावित है।

5. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द होने से रोका जाना, प्रकरण में आगे वाद बहुल्यता उत्पन्न होने और अन्य विधिक जटिलताए रोकना पूर्णतया अपेक्षित व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभयपक्षरान को पांवद किया किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 सावित होने पर उभय पक्षकारान को वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पांवद किया जाता है।

निर्णय दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सर्वेश शर्मा आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल